पत्रावली पेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
दिनांक 6।2।17 को पेश हो। [signature]
नायब तहसीलदार
मेड़ता

6।2।17

पत्रावली पेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्राप्त
दिनांक 20।2।17 को पेश हो। [signature]
नायब तहसीलदार
मेड़ता

20।2।17

पत्रावली पेश पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 17।2।17 को प्राप्त।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने रा.सं.नि. [illegible] से सत्यापित करके रिपोर्ट दिनांक 1.9.16 को की कि अप्रार्थी [illegible] जाति जाट निवासी [illegible] ने मौजा [illegible] के ख.नं. 192 रकबा 0.81 [illegible] संवत् 2073 खरीफ में फसल [illegible] बोयी [illegible] अवैध कब्जा किया हुआ है।

इस प्रकार अप्रार्थी के विरुद्ध LRA Act 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया जिसे अप्रार्थी को [illegible] को विधिवत तामील कराया गया। उक्त नोटिस के जवाब में गैरसायल ने दिनांक 26।9।16 को जवाब पेश किया जिसमें उसने बताया कि उक्त ख.नं. 192 के रकबा 0.81 है. पर उसका कब्जा [illegible] समय से है तथा उसके जीवन का एकमात्र जरिया है।

इस पर पटवारी हल्का से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो कि दिनांक 17।2।17 को प्राप्त हुई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अप्रार्थी ने हाल ही संवत् 2073 खरीफ में उक्त ख.नं. 192 रकबा 0.81 है. पर अतिक्रमण किया है तथा उसका यह कहना कि वह जन्म से काबिज है गलत है। तथ्यों से जाहिर है अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाना अति आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों व परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी का मुत नाजायज आराजी पर अवैध कब्जा है अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त ~~भूमि~~ अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है और साथ ही दर 20 × 0.81 = 16.2 का 50 गुणा रु 810/- (आठ सौ दस रु.) जुर्माना किया जाता है और अप्रार्थी को मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का [illegible] व JRA को लिखा जावे। पत्रावली बाद पालना [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। [signature]
नायब तहसीलदार
मेड़ता

2016-17 वर्ष 810 रो. 4 केश बुक सं. 16 पर दर्ज की
[signature]
पटवारिल राजस्व लेखाकार मेड़ता